GEMS Portal
No.- 2026/220

FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
घमण्डनाथ पुत्र श्री दुर्गनाथ जाति सिद्ध, निवासी– नयागावं, तहसील–डेह		राजस्थान सरकार जरिये हल्का पटवारी आवंलियासर, तहसील–डेह,जिला–नागौर

स्थगन प्रार्थना–पत्र **संख्या** 15 **सन्** 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
09.04.2026	वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र उपरोक्त अनुवान की अपील संख्या 205/2026 के साथ पेश कर न्यायालय तहसीलदार, डेह द्वारा प्रकरण संख्या 02/2026 में पारित आदेश दिनांक 05.03.2026 की अपील की सुनवाई के दौरान पालना/क्रियान्विति ताफैसला अपील स्थगित रखने हेतु पेश किया है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर हो। विद्वान वकील प्रार्थी एवं राजपेरोकार को सुना गया। विद्वान वकील प्रार्थी का दौराने बहस कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया है। अपीलांट को पुराना राजस्व रेकार्ड पेश करने का एवं पड़ौसियों की मौखिक साक्ष्य भी पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि व अपीलांट की भूमि का भी किसी प्रकार से कोई नाप चौप भी नहीं किया गया और न ही किसी प्रकार का कोई नक्शा अपीलांट की मौजूदगी में तैयार किया गया हैं। विद्वान वकील प्रार्थी का यह भी कथन हैं कि उक्त प्रकरण में पूर्व में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई हो तथा प्रकरण दर्ज किया गया हो और उसमें बेदखली की कार्यवाही की गई हो, ऐसा कोई प्रकरण पत्रावली पर नहीं था और न ही पूर्व में कभी अपीलांट के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की गई, इसके बावजूद माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के ही पश्चात्वर्ती अतिक्रमण की कार्यवाही करने से पूर्व धारा 91 के तहत कोई प्रकरण दर्ज किया गया हो और उसमें कार्यवाही की गई हो तभी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण की कार्यवाही अमल में लाई जा सकती हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व होने से इस आदेश की क्रियान्विति को अपील के निर्णय तक स्थगित रखा जावें तथा अपीलांट की सिविल कारावास की सजा को रोकते हुए जेल से रिहा किया जाने का आदेश प्रदान किया जावें। राजपेरोकार का बहस में कथन हैं कि अपीलांट द्वारा पूर्व में इसी रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 16.01.2026 को पुलिस की मौजुदगी में कांकड़ माठ पर रास्ता खुलवाया गया था किन्तु अपीलांट ने उसी रात्रि को इस रास्ता को बंद कर दिया गया था, जिसकी पुनः रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की रिपोर्ट न्यायालय तहसीलदार, डेह में पेश किये जाने पर अपीलांट को विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय पारित किया है कलक्टर नागौर	

जो विधिवत् पारित किया है। इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में पेश की गई पटवारी हल्का की टी0पी0 रिपोर्ट में पटवारी हल्का आवंलियासर एवं भू0अभिलेख निरीक्षक, कमेड़िया ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.01.2026 में यह नोट अंकित किया है कि अतिक्रमी घमण्डाराम पुत्र दुर्गनाथ द्वारा खसरा नम्बर 28/208 गै.मु. रास्ता जो कि दिनांक 16.01.2026 को खुलवाया गया था। अतिक्रमी घमण्डाराम पुत्र दुर्गनाथ द्वारा पाई आदि लगाकर वापस बन्द कर दिया गया है। इस रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यही प्रकट हैं कि अतिक्रमी पश्चातवर्ती हैं। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया हैं जिससे यह साबित होता हो कि अतिक्रमी पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं हैं। पटवारी एवं भू0अभिलेख निरीक्षक की उपरोक्त रिपोर्ट में पश्चातवर्ती अतिक्रमी बताया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.03.2026 में भी अपीलांट को पश्चावर्ती अतिक्रमी मानकर तीन माह का सिविल कारावास से दण्डित किया गया हैं। ऐसी स्थिति में वर्तमान में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया हैं जिससे यह साबित होता हो कि अतिक्रमी द्वारा मौके से कब्जा हटा लिया हो। ऐसी स्थिति में अतिक्रमी को किसी प्रकार की राहत दिया जाना उचित नहीं हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

जिला कलक्टर,
नागौर

कलक्टर नागौर